(125)

संचिका संख्या-18/ई0गो0-04-07/2011

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

विषयः- महानिदेशक-सह-कार्यपालक निदेशक, सेन्टर फॉर गुड गवर्नेंस सोसाईटी के पदनाम में परिवर्तन एवं पदधारण अवधि के निर्धारण के संबंध में।

बिहार प्रशासनिक सुधार कार्यक्रम के एक महत्वपूर्ण कार्यबिंदु के रूप में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, सरकार के संकल्प संख्या 12670 दिनांक 22.11.2011 द्वारा सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, बिहार की स्थापना सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के अंतर्गत सहायक अनुदान प्राप्त एक पंजीकृत सोसाईटी के रूप में की गयी थी और सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या 11162 दिनांक 08.08.2012 द्वारा सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस सोसाईटी, बिहार के शासी परिषद् का पुनर्गठन किया गया था। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के राज्यादेश संख्या 11161 दिनांक 08.08.2012 द्वारा सोसाईटी के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में महानिदेशक-सह-कार्यपालक निदेशक सहित कुल 88 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उक्त 88 पदों में से शीर्ष दो पदों, यथाः महानिदेशक-सह-कार्यपालक निदेशक तथा निदेशक, सुशासन पर नियुक्ति की सक्षमता सरकार में निहित है।

सामान्य प्रशासन विभाग के राज्यादेश संख्या 12878 दिनांक 14.09.2012 द्वारा महानिदेशक-सह-कार्यपालक निदेशक के सेवा-शर्त्तों का निर्धारण किया गया था जिसमें महानिदेशक-सह-कार्यपालक निदेशक के पद पर सेवानिवृत्त पदाधिकारी की नियुक्ति की स्थिति में अधिकतम उम्र सीमा का उल्लेख नहीं होने तथा उक्त पद का पदधारण अवधि स्पष्ट नहीं होने के कारण राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित निर्णय लिया जाता है :-

1.(क) सोसाईटी के महानिदेशक-सह-कार्यपालक निदेशक का पदनाम परिवर्तित कर ''महानिदेशक-सह-कार्यपालक निदेशक-सह-राज्य सरकार के सलाहकार (सुशासन)'' किया जाता है।

1.(ख) महानिदेशक-सह-कार्यपालक निदेशक-सह-राज्य सरकार के सलाहकार (सुशासन) के पद पर किसी योग्य सेवारत भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी अथवा सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी। भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त पदाधिकारी की नियुक्ति किये जाने की स्थिति में ऐसे पदाधिकारी पदभार ग्रहण करने की तिथि से पैंसठ वर्ष की आयु पूरी होने अथवा अधिकतम पाँच वर्षों की सेवा, जो भी पहले हों, तक महानिदेशक-सह-कार्यपालक निदेशक-सह-राज्य सरकार के सलाहकार (सुशासन) का पद धारण करेंगे।

1.(ग) महानिदेशक-सह-कार्यपालक निदेशक-सह-राज्य सरकार के सलाहकार (सुशासन) के रूप में वे राज्य सरकार को प्रशासनिक तंत्र की मजबूती एवं क्षमता संवर्द्धन में स्वप्रेरणा से अथवा राज्य सरकार द्वारा संदर्भित विषयों पर पेशेवर बौद्धिक परामर्श प्रदान करेंगे।

2. विभागीय संकल्प संख्या 12670 दिनांक 22.11.2011, 11162 दिनांक 08.08.2012 एवं राज्यादेश संख्या 11161 दिनांक 08.08.2012 एवं 12878 दिनांक 14.09.2012 इस हद तक संशोधित समझा जाय।

आदेश- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(वीरेन्द्र प्रसाद यादव)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-18/ई0गो0-04-07/2011सा0प्र0 8637 /पटना 15, दिनांक- 25 जून, 2014

प्रतिलिपिः-माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/महानिदेशक-सह-कार्यपालक निदेशक-सह-राज्य सरकार के सलाहकार (सुशासन), सेन्टर फॉर गुड गवर्नेंस सोसाईटी, पटना/महानिदेशक, बिपार्ड, पटना/मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, बिहार, पटना/वित्त विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग/सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Sd/- 25/6/14
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-18/ई0गो0-04-07/2011सा0प्र0 8637 /पटना 15, दिनांक- 25 जून, 2014

प्रतिलिपिः-महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Sd/- 25/6/14
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-18/ई0गो0-04-07/2011सा0प्र0 8637 /पटना 15, दिनांक- 25 जून, 2014

प्रतिलिपिः-ई0-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को दो प्रतियों में सी0डी0 के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Sd/- 25/6/14
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-18/ई0गो0-04-07/2011सा0प्र0 8637 /पटना 15, दिनांक- 25 जून, 2014

प्रतिलिपिः-मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को दिनांक 24.06.2014 को संपन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही के मद संख्या 26 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

Sd/- 25/6/14
सरकार के अपर सचिव।